

परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय 'डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' है, के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

- (i) RELIEF घटक-II के तहत, ऊर्जा शिपमेंट शामिल नहीं हैं।
- (ii) RELIEF घटक-III के तहत, हवाई शिपमेंट शामिल नहीं हैं।
- (iii) RELIEF हस्तक्षेपों के घटक I और II के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त दावों का, निर्यातकों को जारी की गई ईसीजीसी पॉलिसियों के तहत 'दावा-से-प्रीमियम अनुपात' (CPR) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-ईसीजीसी एमएसएमई निर्यातकों के लिए RELIEF हस्तक्षेप घटक-III के तहत प्रतिपूर्ति की गई राशियों को, भविष्य में निर्यातकों द्वारा ईसीजीसी से प्राप्त की जाने वाली किसी भी पॉलिसी(यों) में CPR की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
